[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

**2019 का विधेयक संख्यांक 28**

[दि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

# जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019

**जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004**
**का और संशोधन**
**करने के लिए**
**विधेयक**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

**1.** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

धारा 2. का संशोधन ।

2004 का 14

**2.** जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(छक) "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग" से ऐसे प्रवर्ग अभिप्रेत हैं, जो खंड (ड), खंड (ढ) और खंड (ण) में परिभाषित वर्गों या प्रवर्गों से भिन्न, कौटुंबिक आय और अन्य आर्थिक अलाभ सूचकों के आधार पर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ;'।

धारा 3 का संशोधन ।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) में, "पिछड़ा वर्ग" शब्दों के स्थान पर "पिछड़ा वर्ग ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग :";

(iv) पहले परंतुक में, "आरक्षण की कुल प्रतिशतता" शब्दों के स्थान पर "खंड (क) और खंड (ख) में उपबंधित आरक्षण की कुल प्रतिशतता" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(v) प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण इस उपधारा में यथा उपबंधित विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा :";

(vi) दूसरे परंतुक में, "परन्तु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह भी कि" शब्द रखें जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन ।

**4.** मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में,—

(i) "सरकार, वृत्तिक संस्थाओं में" शब्दों से आरंभ होने वाले और "स्थान आरक्षित करेगी" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"सरकार,—

(क) आरक्षित प्रवर्गों और ऐसे अन्य वर्गों या प्रवर्गों के, जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ; और

(ख) आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के,

अभ्यर्थियों के लिए वृत्तिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित करेगी :";

(ii) परंतुक में, "आरक्षण की कुल प्रतिशतता" शब्दों के स्थान पर "खंड (क) में उपबंधित आरक्षण की कुल प्रतिशतता" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि वृत्तिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण इस उपधारा में यथा उपबंधित विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक प्रवर्ग में स्थानों का अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा :"।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 (अधिनियम) वृत्तिक संस्थाओं में, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए नियुक्ति और प्रवेश में आरक्षण के लिए उपबंध करने के विचार से अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम के अधीन जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की रीति का उपबंध करने के लिए बनाए गए हैं । "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग" अभिव्यक्ति के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों, वास्तविक नियंत्रण रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में निवास कर रहे व्यक्ति और सामाजिक जातियां भी हैं ।

3. भारत सरकार ने संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 (संविधान अधिनियम, 2019) द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं और लोक नियोजन में प्रवेश के मामलों में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है । तत्पश्चात्, राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए संविधान अधिनियम, 2019 के उपबंधों का विस्तार करने के लिए 1 मार्च, 2019 को संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू) संशोधन आदेश, 2019 जारी किया ।

4. जम्मू-कश्मीर राज्य में संविधान अधिनियम, 2019 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 के कतिपय उपबंधों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है । तदनुसार, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) विधेयक, अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग" को ऐसे प्रवर्ग के रूप में परिभाषित किया जा सके, जो उक्त धारा के खंड (ड), खंड (ढ) और खंड (ण) में परिभाषित वर्गों या प्रवर्गों से भिन्न कौटुम्बिक आय और अन्य आर्थिक अलाभ सूचकों के आधार पर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ;

(ii) विधेयक, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों से संबंधित खंड को अंत:स्थापित किया जा सके और प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध किया जा सके ;

(iii) विधेयक, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों से संबंधित खंड को अंत:स्थापित किया जा सके और प्रत्येक प्रवर्ग में स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध किया जा सके ।

5. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

**नई दिल्ली ;**
**2 अगस्त, 2019**

**अमित शाह**

उपाबंध

## जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 (2004 का अधिनियम संख्यांक 14) से उद्धरण

* * * * *

नियुक्ति में आरक्षण ।

**3.** (1) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई सीमा तक उपलब्ध रिक्तियां निम्नलिखित के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों से सीधी भर्तियों द्वारा नियुक्ति के लिए आरक्षित होंगी :—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से, जो अद्यतन उपलब्ध जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या के ऐसे प्रत्येक प्रवर्ग की जनसंख्या के अनुपात और समानुपात से अधिक नहीं होगा ; और

(ख) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग :

परंतु किसी भी मामले में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि सरकार उन सेवाओं और पदों को इस अधिनियम के प्रचालन से अपवर्जित करेगी, जो अपनी प्रकृति और कर्तव्यों के कारण इस प्रकार के है, जिनके लिए बुद्धिमत्ता, कौशल और उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर की आवश्यकता है ।

* * * * *

वृत्तिक संस्थाओं में आरक्षण ।

**9.** (1) सरकार वृत्तिक संस्थाओं में आरक्षित प्रवर्गों और ऐसे अन्य वर्गों और प्रवर्गों, जैसा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए वृत्तिक संस्थाओं में स्थानों को आरक्षित करेगी :

परंतु किसी भी मामले में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होगा ।

* * * * *



MGIPMRND—2371RS(CRC)—02-08-2019.